//

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक 9886/त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2012 ,रायपुर, दिनांक 24-12-12

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर

विषयः **छत्तीसगढ़ राज्य में नया पी.एच.ई. एस.ओ.आर. 1 जनवरी 2013 से लागू करने बाबत्।**

संदर्भः **1. छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का पत्र कमांक एफ–8–12/2012/34–2/2187, दिनॉक 22.12.2012.**
2. इस कार्यालय का पत्र कमांक 9369/त.शा./दिनांक 05.12.2012.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक–1 का अवलोकन हो जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में नया पी.एच.ई. एस.ओ.आर. 01 जनवरी 2013 से लागू करने के निर्देश दिये गये हैं तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि आज दिनांक आपके द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है एवं छत्तीसगढ़ राज्य का विभागीय एस.ओ.आर. जारी नहीं किया जा सका है ।

संदर्भित पत्र क्रमांक–1 में यह भी उल्लेख है कि वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन द्वारा नया वाटर सप्लाई एवं सिवरेज वर्क का एस.ओ.आर. जारी कर दिया गया है जिसे कार्यालयीन पत्र क्रमांक 9370/त.शा./दिनॉक 05.12.2012 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील किया गया है । इस तारतम्य में विदित हो कि कार्यालयीन आदेश क्रमांक 142/स्था./दिनॉक 06.08.2012 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में प्रचलित एस.ओ.आर. (यू.एस.ओ.आर. 02 दिसम्बर 2009 समस्त संशोधनों सहित) को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील किया गया है न की 05.12.2012 से। कृपया अवगत होना चाहेंगे ।

इस तारतम्य में लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य में यू.एस.ओ.आर. बनाने हेतु कार्यों के सम्पादन के लिए शासन के आदेश क्रमांक एफ 8–12/2012/34–2/दिनॉक 05.07.2012 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है । दी गई स्वीकृति उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य में नया यू.एस.ओ.आर. तैयार करने के लिए की जा रही कार्यवाही अंतिम चरण में है तथा नवीन एस.ओ.आर. तैयार करने से संबंधित अद्यतन प्रगति से समय–समय पर शासन को अवगत कराया जाता रहा है ।

संदर्भित पत्र में उल्लेखित कार्यविभाग नियमावली 2.027, 2.028 तथा 2.029 के प्रावधानों का वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश एवं वित्तीय अधिकार पुस्तिका अनुसार पालन किया जाता रहा है। जिन स्वीकृत योजनाओं में स्वीकृत राशि से 10 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय होने की संभावना होती है उन सभी योजनाओं का पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव पूर्व से नियमानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं ।

संदर्भित पत्र क्रमांक–1 के द्वारा नया एस.ओ.आर. 01 जनवरी 2013 से लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है इस तारतम्य में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना उचित होगा :–

1. कार्यालयीन आदेश दिनॉक 06 अगस्त 2012 से मध्यप्रदेश में प्रचलित नवीन एस.ओ.आर. को छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है जिसके कारण 06 अगस्त 12 से पूर्व प्रेषित नगरीय योजनाओं के डी.पी.आर. को वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस टीप के साथ वापिस किया गया कि प्रचलित नवीन एस.ओ.आर. के द्वारा प्राक्कलन तैयार कर पुनः स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जावे। फलस्वरूप बजट में प्रावधानित सभी योजनाओं के डी.पी.आर. को नये एस.ओ.आर. के आधार पर तैयार कर शासन को प्रेषित करने में अतिरिक्त समय लगा ।